

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 107 /

सं० सं०-05/उ० नि० ब० (आवंटन) 02/2018

पटना, दिनांक 6.2.19

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (लेखा),
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :-

मुख्य शीर्ष-2852 उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, मांग संख्या-23, उपशीर्ष 0002 निदेशन, विपत्र कोड 23-2852.80.001.0002 के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय को वित्तीय वर्ष 2018-19 में विषय शीर्ष 0002.11.01 यात्रा व्यय मद के अंतर्गत 1,20,000/- तथा विषय शीर्ष 0002.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव मद के अन्तर्गत रू० 1,00,000/- कुल रू० 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू० 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2

इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय-व्ययक शीर्ष-2852 उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, मांग संख्या-23, उपशीर्ष 0002-निदेशन, विपत्र कोड 23-2852.80.001.0002 एवं इसके अंतर्गत द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त अतिरिक्त उपबंध से निम्न सारणी के अनुरूप विकलित होगा :-

क्र०	विषय शीर्ष/मद	आवंटित राशि (रू०)
1	0002.11.01 यात्रा व्यय	1,20,000
2	0002.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	1,00,000
3	योग	2,20,000

3

राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4

राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :-
(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।
(ख) एक इकाई की राशि दूसरी इकाई में व्यय नहीं की जाय।
(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।
(घ) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं०/बिल नं० एवं मासिक CTMIS प्रतिवेदन के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(च) 2018-19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 6.2.19

ज्ञापांक 107/3110/

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 6.2.19

ज्ञापांक 107/3110/

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0-डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा-05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

20